

1628
16/5/14

क्रमांक: प. 1 (26) वन / 2014

जयपुर, दिनांक: 15 MAY 2014

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भवथ)
राजस्थान, जयपुर ।~~PERFECT~~
~~15/5/14~~
महोदय, 19/5/14

विषय :—टोडाभीम बालाजी सडक (एमडीआर—142) घाटी पोर्शन 4.0 किमी में
सडक चौडाईकरण हेतु 0.5375 है 0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।
संदर्भ :—आपका पत्र क्रमांक एफ. 14 ()2013/करौली/
एफसीए/प्रमुखसं/4035 दिनांक 06.05.2014

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयाकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा—2 में वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज0 जयपुर के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्र संख्या 11—9/98 एफसी दिनांक 03.01.2005 एवं दिनांक 13.02.14 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा—2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए टोडाभीम बालाजी सडक (एमडीआर—142) घाटी पोर्शन 4.0 किमी में सडक चौडाईकरण हेतु 0.5375 है 0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन की स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :—

1. वनभूमि कर वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रस्तावनानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत कोई पेड नहीं काटे जावें।
3. नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।
4. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निमार्ण एवं रख रखाव के दौरान आस—पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावें।
5. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को इस विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस—पास में वनस्पति/वन्यजीवन (फ्लोरा /फोना) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।
7. यूजर एजेन्सी को प्रत्यावर्तित वनभूमि की नियमानुसार एन.पी.वी. राशि जमा करानी होगी।
8. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
9. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावे।



प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, (एफ0सी0), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, मोदी रोड, नई दिल्ली—110003
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर—एच, अलीगंज, लखनऊ—226024
3. नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना), वन भवन, जयपुर को सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड—हिण्डौनसिटी।
5. रक्षित।

भवदीय,
[Signature]
(सी0एस0 रत्नासामी)
शासन सचिव